International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 113-116

राजभाषा के रूप में हिन्दी भाषा का विश्लेषणात्मक अध्ययन

रेणु
B.Ed. Teacher, G.G.S.S.S. Sindhvi Khera, Jind, Haryana, India

सारांश
राजभाषा से अभिप्राय है – राजकाज की भाषा अर्थात् शासन की भाषा। अधिकांशतः वही भाषा राजभाषा बनाई जाती है जिसमें सरलता, सुबोधता, लिपि की स्पष्टता तथा वैज्ञानिकता आदि विशेषताएँ हों, इसके साथ–साथ वह देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली और समझी जाती हो परन्तु कभी–कभी शासन या सत्ता पर जिस व्यक्ति या जाति का अधिकार होता है उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भी राजकाज की भाषा बना दिया जाता है। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि यहाँ मुगलों के कार्यकाल में अरबी–फारसी और उर्दू राजभाषा के रूप में देश में अभिहित थी। तदुपरान्त अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग राजकाज के लिए होने लगा। इसलिए देश के स्वतन्त्र होने के बाद 26 जनवरी, 1950 को गणतन्त्र की घोषणा के साथ ही हिन्दी भाषा का संवैधानिक रूप से देश की राजभाषा के रूप में अभिहित कर देश की प्रथम भाषा बनाना अनिवार्य हो गया था।

मूल शब्द : अभिहित, अंगीकार, तत्समय, प्राधिकृत, अभिज्ञात, निवारण, अभ्यावेदन, अभिव्यक्ति, आत्मसात।

प्रस्तावना
हिन्दी का शाब्दिक अर्थ है हिंद का और हिंद शब्द बना है संस्कृत के सिंधु से – सिंध – हिंदु – हिंद। संस्कृत का सिंधु फ़ारसी में हिन्दू हो गया है। अतः मूलत सिंधु नदी से पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर के निवासियों को हिंदु कहा, उस भू–भाग को हिंद कहा और उनकी भाषा हिंदी कहलाई। भारत के पश्चिमी भाग विशेष रूप से जोधपुर, जैसलमेर–बाड़मेर जिलों में तथा फ़ारसी भाषा में शब्द के प्रारंभ में आने वाली स की ध्वनि ह में बदल जाती है जैसे – सडक – हड़क, सीरा – हीरा प्रारंभ में हिंदू, हिंद और हिन्दी मूलतः तो भौगोलिक संदर्भ में प्रयुक्त हुए थे किन्तु कालान्तर में धर्म, सम्प्रदाय एवं राजनीति के संदर्भ भी उनसे जुड़ते गए।

भारत के संविधान में हिन्दी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किन्तु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केन्द्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिन्दी राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती। प्रारम्भ में संविधान लागू होते समय सन् 1950 में यह समय सीमा 15 वर्ष के लिए थी अर्थात् अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए सन् 1965 तक ही हो सकता था, किन्तु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि संविधान द्वारा हिन्दी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केन्द्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है और वह अभी तक अपना वर्चस्व बनाए हुए है।

केन्द्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की राजभाषा के रूप में भी हिन्दी का प्रयोग स्वीकृत है जिन राज्यों की राजभाषा हिन्दी स्वीकृत है, वे है – उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं उतरांचल। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। यथा –पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगला। इन प्रान्तों में भी सरकारी कामकाज प्रान्तीय भाषा में होने के साथ–साथ अंग्रेजी में हो रहा है।

हिन्दी के विभिन्न नाम या रूप।
1. हिन्दवी/हिन्दुई/जनाब–ए हिन्दी/देहलवीः मध्यकाल में मध्यप्रदेश के हिन्दुओं की भाषा, जिसमें अरबी–फारसी शब्दों का अभाव है। (सर्वप्रथम अमीर खुसरों ने मध्य देश की भाषा के लिए हिन्दवी, हिन्दी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने देशी भाषा हिन्दवी, हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी–हिन्दी कोश 'खालिक बारी' की रचना की जिसमें हिन्दवी शब्द 30 बार, हिन्दी शब्द 5 बार देशी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है।)
2. भाषा/भाखा : विद्यापति, कबीर, तुलसी, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिन्दी के लिए किया है। (19वीं सदी के प्रारंभ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिन्दी अध्यापाकों का 'भाषा–मुंशी' के नाम से अभिहित करना इसी बात का सूचक है।)
3. रेख्ता : मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी–फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा (जैसे मीर, गालिब की रचनाएँ)।
4. दक्खिनी/दक्कनी : मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा। (हिन्दी में गद्य रचना परम्परा की शुरूआत करने का श्रेय दक्कनी हिन्दी के रचनाकारों को ही है। दक्कनी हिन्दी को उतरी भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी (1688–1741) को है। वह मुगल शासक मुहम्मद शाह 'रंगीला' के शासन काल में दिल्ली पहुँचा और उत्तरी भारत में दक्कनी हिन्दी को लोकप्रिय बनाया।
5. खड़ी बोली : खड़ी बोली की 3 शैलियाँ
   - हिन्दी/शुद्ध हिन्दी/उच्च हिन्दी/नागरी हिन्दी/आर्य भाषा : नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली (जैसे – जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ)।
   - उर्दु/जबान–ए–उर्दू/जबान–ए–उर्दू–मुअल्ला : फारसी लिपि में लिखित अरबी–फारसी बहुल खड़ी बोली (जैसे मण्टो की रचनाए)।
   - हिन्दुस्तानी : हिन्दी उर्दू का मिश्रित रूप व आम जन द्वारा प्रयुक्त (जैसे प्रेमचंद की रचनाएँ)

- स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी का राजभाषा के रूप में विकास

राजभाषा क्या है ?

1. राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है – राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं–नवाबों के जमाने में इसे 'दरबारी भाषा' कहा जाता था।
2. राजभाषा सरकारी काम–काज चलाने की आवश्यकता की उपज होती है।
3. स्वशासन आने के बाद राजभाषा की आवश्यकता होती है। प्रायः राष्ट्रभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात् राजभाषा बन जाती है। भारत में भी राष्ट्रभाषा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ।
4. राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिन्दी को 14 सितम्बर 1949 ई0 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
5. राजभाषा देश को अपने प्रशासनिक लक्ष्यों के द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है।
6. राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है स्वभाषा या परभाषा। जैसे – मुगल शासक अकबर के समय से लेकर मैकाले के काल तक फारसी राजभाषा तथा मैकाले के काल से लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी राजभाषा थी जोकि विदेशी भाषा थी जबकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया जोकि स्वभाषा है।
7. राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता।

राजभाषा आयोग

संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून, 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बालगंगाधर खेर (बी.जी.खेर) की अध्यक्षता में किया गया। विभिन्न राज्यों से इसके 20 सदस्य मनोनित किए गये। आयोग ने अपनी 19 सिफारिशें प्रस्तुत की।

राजभाषा अधिनियम, 1976

इस अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गये हैं। इस अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान इस प्रकार है :

1. भारत संघ के राज्य तीन वर्गों में विभक्त किये गए हैं :–

क. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र दिल्ली (ये सभी हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं)।
ख. इस श्रेणी में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चण्डीगढ़, अण्डमान–निकोबार को रखा गया है।
ग. शेष सभी प्रदेश एवं संघ शसित क्षेत्र 'ग' श्रेणी में रखे गए।

इस वर्गीकरण के बाद यह निर्देश दिया गया है :

1. केन्द्रीय कार्यालयों से 'क' श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिन्दी में देवनागरी लिपि में भेजे जायेंगे। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है, तो हिन्दी में अनुवाद भी अवश्य भेजा जायेगा।
2. 'ख' श्रेणी के राज्यों से पत्र–व्यवहार हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है।
3. 'ग' श्रेणी के राज्यों से पत्र–व्यवहार अंग्रेजी में किया जाएगा।
4. केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी में आगत पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में दिया जाएगा।
5. केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सभी प्रपत्र, रजिस्टर, हिन्दी, अंग्रेजी दोनों में होंगे।
6. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे।
7. प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियमों एवं उपबन्धों का समुचित अनुपालन कराये।

भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध अर्थात् उपनियम है। भाग 17 का शीर्षक 'राजभाषा' है। इस भाग में चार अध्याय है जो क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएँ, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा तथा निर्देश से सम्बन्धित हैं। यह चारों अध्याय अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। इसके अतिरिक्त भाग 5 के अनुच्छेद 120 में ससंद सभा तथा भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधान मण्डलों की भाषा के संबध में विवरण दिया गया हैं। इसके साथ–साथ यह भी ध्यातव्य है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रमुख आधुनिक भाषाओं की सूची प्रस्तुत की गई है।

(क) अनुच्छेद 343 (1)– संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। यह राजभाषा का दर्जा उसे 26 जनवरी, 1950 को ही प्राप्त हो गया, जब संविधान लागू हुआ किन्तु संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंको का रूप भारतीय अंको का अंतराष्ट्रीय रूप होगा।

(ख) अनुच्छेद–344– राष्ट्रपति द्वारा संविधान प्रारम्भ होने से पाँच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति भारत की विभिन्न भाषाओं के सदस्यों के आधार पर एक आयोग का गठन किया जाए और राजभाषा के संबध में कार्य–दशा को निर्धारित किया जाए।

1. हिन्दी के उतरोतर प्रयोग पर बल दिया जाए।
2. आयोग के द्वारा औधोगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति के साथ लोक सेवाओं में अहिन्दी भाषा के न्यायपूर्ण औचित्य पर ध्यान रखा जाए।
3. राजभाषा पर विचार करने के लिए लोक सभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलाकर एक 30 सदस्ययी समीति गठित की जाएगी।
4. यह समीति राजभाषा हिन्दी व देवनागरी अंको के प्रयोग का परीक्षण कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन करेगी।
5. राष्ट्रपति द्वारा समीति के प्रतिवेदन पर विचार करके अपना आदेश जारी करेगें।

(ग) अनुच्छेद 345–इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में सब या किसी एक के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को अंगीकार कर सकेगा।

(घ) अनुच्छेद 346–इस अनुच्छेद में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में संचार व संपर्क के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा का प्रावधान किया गया है। यदि दो या अधिक राज्य परस्पर निर्णय करके राजभाषा हिन्दी को संचार भाषा के रूप में अपनाने का निश्चय करते हैं तो वे हिन्दी का अपने राज्यों की परिभाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

(ड) अनुच्छेद 347– किसी राज्य का सर्वाधिक जनसमुदाय चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा

अभिज्ञात की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगें कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा किसी एक भाग में से ऐसे प्रयोजन के लिए, जैसा कि उल्लिखित करे, राजकीय मान्यता दी जाए।

(च) अनुच्छेद 348–अध्याय तीन के इस अनुच्छेद के खंड (1) में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा पर विचार किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक ससंद विधि द्वारा उपबन्ध न करें, तब तक इस न्यायालयों का कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होता रहेगा।

(छ) अनुच्छेद 349– इसके अनुसार संविधान के प्रांरभिक 15 वर्षों की कालाविधि तक अनुच्छेद 348 के खंड (1) में वर्णित प्रयोगों में से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना स्वीकृत नहीं होगा।

(ज) अनुच्छेद 350– इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति, संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वंतत्र होगा।

(झ) अनुच्छेद 351–इसके अनुसार 'संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार व विकास करने का प्रयास करेगा ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकें और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली व पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ उसके शब्द–भंडार को समृद्व करने के लिए मुख्यतः संस्कृत से व गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने का प्रयास करे।

राजभाषा हिन्दी के संबध में राष्ट्रपति के आदेश

(क) सन् 1952 का आदेश

संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वे 15 वर्षों को अवधि से पहले भी अपने आदेश द्वारा राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी प्रयोग को भी प्राधिकृत कर सकेगे।27 मई, 1952 को राष्ट्रपति ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए एक आदेश (क्रम संख्या 2 विधि मंत्रालय की दिनांक 27 मई 1952 की अधि सूचना संख्या एस. आर. ओ. 938ए) जारी किया जिसके अनुसार ''राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायधीश के नियुक्ति–अधिपत्र में अंग्रेजी भाषा व अन्तर्राष्ट्रीय अंक–रूपों के साथ–साथ हिन्दी भाषा व नागरी लिपि अंको से भी युक्त होगें।''

इसी प्रकार राजभाषा आयोग ने हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए अनेक सुझाव भी दिए थे। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि खेर आयोग ने राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया परन्तु इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि कुछ कारणों से इन सुझावों को आधार बनाकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 और 5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों की एक संसदीय समीति का गठन किया गया। ताकि राजभाषा आयोग 1955 की सिफारिशों की समीक्षा की जा सके। तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत इस संसदीय समीति के अध्यक्ष चुने गए। इस समीति ने अप्रैल 1959 में अपनी रिपोर्ट संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी –

1. सरकारी पदों व नौकरियों के लिए इस समय अंग्रेजी शिक्षा का स्तर निर्धारित है। संक्रमण की अवस्थाओं में यदि हिन्दी ज्ञान का स्तर कुछ कम भी तो चल सकता है।
2. निश्चित कालावधि में हिंदी–ज्ञान प्राप्त न करने वाले कर्मचारियों को दण्ड़ित करना असंगत ही होगा।
3. 45 वर्ष से ऊपर की आयु के सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी के प्रशिक्षण से छूट दी जानी चाहिए।
4. हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान न्यायधीशों के लिए उपयुक्त हो सकता हैं, परन्तु उनके लिए भाषा संबंधी परीक्षाएँ निर्धारित करना उचित नहीं है।
5. सन् 1965 तक भारत सरकार के राजकाज की भाषा अंग्रेजी रहे और इस अवधि तक हिन्दी गौण राजभाषा रहे। सन् 1965 के बाद हिन्दी प्रधान राजभाषा रहे और अंग्रेजी को सह–राजभाषा का दर्जा दिया जाए।

राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन, सेठ गोविन्द दास आदि ने इस सिफारिशों का विरोध किया। परन्तु समीति ने आयोग की अधिकांश सिफारिशें, सुझावों को स्वीकार करने के लिए राय देते हुए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। इसी के आधार पर राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल 1960 को संघ राजभाषा के संबंध में एक आदेश जारी किया। इसके प्रमुख निर्देश निम्नलिखित है –

1. अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती का माध्यम अंग्रेजी बना रहेगा। कुछ समय के लिए हिन्दी वैकल्पिक माध्यम की तरह अपनाई जा सकती है।
2. प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश–परीक्षा हिन्दी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी।
3. शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक आयोग का गठन किया जाए, जिसका कार्य हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली का निर्माण करना हो।
4. सभी प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद हो।
5. अंग्रेजी में संसदीय अधिनियम तथा विधेयक बनाए जाएँ तथा उनका हिन्दी में अनुवाद हो।
6. उच्चतम न्यायालय की भाषा अंततः हिन्दी होनी चाहिए। राज्य की भाषाओं का प्रयोग विकल्प रूप में किया जा सकेगा।
7. एक मानक हिन्दी शब्दकोष बनाने के लिए कानूनी विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग गठित किया जा सके।

निष्कर्ष

उपुर्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार तो किया गया है परन्तु उसे वास्तविक रूप में स्वीकृत किया जाना अभी शेष है। विशेषकर दक्षिणी भारत के राज्यों में हिन्दी को इस रूप में व्यवहृत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हिंदी भाषी राज्यों–हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि में हिन्दी को अपना यह अधिकार मिल चुका है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी को एकता व अखण्डता के सूत्र में बाँध सकती है। यदि सभी उच्च अधिकारी एवं नेतागण इस तथ्य को समझें तो निश्चय ही हिन्दी का प्रयोग अपने आप में राष्ट्रीय कार्य बन सकता है और वह स्वयंही राजभाषा के रूप में प्रयुक्त एवं स्वीकृत हो सकती है। वर्तमान युग में जहाँ अधिकांश सरकारी कार्यालयों में कम्पयूटर पर काम–काज किए जाते हैं और इन पर

हिन्दी भाषा के प्रयोग संबंधी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं, ऐसी दशा में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी भाषा में काम–काज करने की प्रवृति का सहज में ही प्रोत्सहान दिया जा सकता है। निश्चय ही जिस दिन संपूर्ण देश में बिना किसी दबाव व भेदभाव के हिन्दी भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में व्यवहृत किया जाने लगेगा, उसी दिन से हमारा देश भी अन्य विकसित राष्ट्रों के समान एकता व अखंडता के साथ निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता रहेगा। इसी दिशा में प्रत्येक सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी का विशेष योगदान अपेक्षित है।

संदर्भ ग्रंथ

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी, डॉ0 पवन कुमार यादव, पेज न0 6।
2. उपरिवत, डॉ0 पवन कुमार यादव, पेज न0 7।
3. प्रतियोगिता साहित्य सीरिज, डॉ0 अशोक तिवारी, पेज न0 23।
4. लूसेंट सामान्य हिन्दी, संजीव कुमार, पेज न0 4।
5. उपरिवत्, पेज न0 8
6. प्रतियोगिता साहित्य सीरिज, डॉ0 अशोक तिवारी, पेज न0 24, 25।
7. प्रयोजनमूलक हिन्दी, डॉ0 पवन कुमार यादव, पेज न0 7।
8. उपरिवत्, पेज न0 8।
9. उपरिवत्, पेज न0 9।
10. उपरिवत्, पेज न0 10, 11।